झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः– L.P.A. No- 641/2015 विवेक कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.05.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री विवेक कुमार सिंह की नियुक्ति के लिए आगामी परीक्षा (झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016) में एक रिक्त पद (उनकी योग्यता के आधार पर उपयुक्त पद) को आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दाखिल L.P.A. No- 641/2015 विवेक कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.05.2016 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है :–

"Considering the orders passed in W.P.(PIL) No-7525 of 2013 and in W.P.(PIL) No-5764 of 2015, the impugned order dated 24.06.2015 passed in W.P.(S) No-330 of 2013 is set aside and it is held that whatever benefit flows to the appellant in the light of orders passed by this court in the aforesaid two Public Interest Litigations shall be granted to him. It is further directed that the respondent- State shall consider the case of appellant for appointment on a suitable post on the basis of his merit in the 4th Jharkhand Public Service Examination, if there is a backlog vacancy from 4th Jharkhand Public Service Examination."

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक 27.11.2012 की कंडिका–3(**xv**) में प्रावधान है कि "किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी"।

अद्यावत पाँचवी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अतएव स्पष्टतः चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की कोई रिक्ति शेष नहीं है। वर्णित स्थिति में श्री विवेक कुमार सिंह को चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की किसी रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त करना सम्भव नहीं है।

(462)

3. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री विवेक कुमार सिंह की नियुक्ति के लिये आगामी परीक्षा (झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016) में एक रिक्त पद उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/मुकदमा–04–01/2016 का0 9361 /राँची, दिनांक– 2.11 ~~अक्टूबर~~, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2/11/16.
सरकार के प्रधान सचिव।